

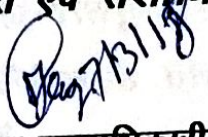
आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.03.2018	न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छतरपुर (पलामू)। आदेश विविध वाद संख्या-174/2017 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता अवधेश राम वगैरह ————— प्रथम पक्ष <u>बनाम्</u> चैद्रमानी देवी वगैरह ————— द्वितीय पक्ष यह प्रक्रिया आवेदक 1. अवधेश राम पिता- विदेशी राम 2. विदेशी राम पिता- स्व० बुधन राम सभी ग्राम-कौवल, पो० + थाना- नौडीहा बाजार, जिला- पलामू ने 1. चैद्रमानी देवी पति-युगेश्वर राम 2. युगेश्वर राम पिता- स्व० बुधन राम 3. धर्मेन्द्र राम पिता- युगेश्वर राम 4. देवरानी देवी पति- धर्मेन्द्र राम 5. सुरेन्द्र राम पिता- युगेश्वर राम 6. मुनीया देवी पति- सुरेन्द्र राम 7. गुड्डू राम पिता- युगेश्वर राम 8. अनरवा देवी पति- गुड्डू राम 9. जितेंद्र राम पिता- युगेश्वर राम 10. कन्हाई राम पिता- युगेश्वर राम 11. रेशमी देवी पति- कन्हाई राम सभी ग्राम- कौवल, पो० + थाना-नौडीहा बाजार जिला- पलामू के विरुद्ध धारा 144 दं०प्र०सं० अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखील किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार से इस कार्यालय के ज्ञापांक 1708 दिनांक 30.12.2017 से जॉच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार ने अपने DR NO-02/18 दिनांक 06.01.2018 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित	PNO-34 1A-6+8



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	किया। जॉच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं० प्र० सं० लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है— मौजा— कौवल, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-171, रकबा-1.12¹/₂ एकड़, चौहद्दी, उत्तर—रामनंदन यादव, दक्षिण—राम किशुन यादव, पूरब—महाबीर महतो, पश्चिम—नीज विक्रेता का जमीन, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं० प्र० सं० की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि मौजा— कौवल, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-171, रकबा-1.12¹/₂ एकड़ भूमि प्रथम पक्ष को केवाला से प्राप्त है जिसका म्यूटेशन भी प्रथम पक्ष के विदेशी राम, पिता— बुधन राम के नाम से दर्ज है तथा उस पर प्रथम पक्ष का सुरु से आज तक शांतिपूर्वक दखल-कब्जा है। विवादी भूमि का सरकारी लगान रसीद प्रथम पक्ष के पक्ष में सुरु से आज तक कटते चला आ रहा है। विपक्षी उक्त भूमि को धन बल के जोर पर हड़पना चाहते हैं। उक्त भूमि में प्रथम पक्ष के द्वारा गेहूँ एवं अरहर आदि का फसल लगाया गया है तथा उक्त भूमि पर सुरु से आज तक प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण कब्जा रहा है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अनुरूप बहस करते हुए बताया कि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रारम्भ किया गया प्रक्रिया पूर्णतः गलत है। प्रक्रिया नोटिस मौजा कौवल के खाता सं०-17, प्लॉट सं०-171, रकबा-1.12½ एकड़ भूमि के ऊपर प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया। प्रक्रिया भूमि का चौहद्दी नोटिस के अनुसार जवाब में दर्ज है। प्रक्रिया नोटिस का चौहद्दी गलत है क्योंकि दक्षिण में रामकिशुन यादव का नाम दिया गया है जबकी रामकिशुन यादव चौहद्दीदार नहीं है इसलिए यह वाद खारीज योग्य है, विपक्षी सं०-01 चंद्रमानी देवी, पति- युगेश्वर राम निबंधित विक्रय पत्र सं०-3866 दिनांक 08.04.1988 को रामदेव राम से कय किया था। चंद्रमानी देवी खरीदगी भूमि का संपूर्ण पैसा विक्रेता को दिया है और अपने नाम पर स्टाम्प कय किया है एवं शांतिपूर्वक दखल- कब्जे में है। ताइद को प्रभाव में लेकर प्रथम पक्ष अपना नाम विक्रय पत्र में दर्ज करा लिया है जो गलत है। प्रथम पक्ष का दखल - कब्जा विवादि भूमि पर कभी भी नहीं रहा है। द्वितीय पक्ष का विवादि भूमि पर दखल - कब्जा सुरु से ही चला आ रहा है तथा विवादि भूमि पर विपक्षी का आवासीय मकान बना हुआ है। आवास, मकान पर यह प्रक्रिया चलाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाय। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं उनके कारण पृच्छा तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद भूमि का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत लगान रसीद उभय पक्ष का नाम दर्ज है ऐसी परिस्थिति में कोई	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2 एकतर्फी आदेश पारित करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  27/3/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  27/3/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	